637वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 17 अप्रैल 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 637वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9129/2022 Shri Hariram Rawat, Owner, Rangwasa, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.50 ha. (Stone – 32,000 cum per annum, Murrum - 6525 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 568वीं दिनांक 30/04/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरिराम रावत, (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके उत्तर–पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 90 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 235 मीटर पर रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में 90 मीटर पर रोड़ होने के कारण 10 मीटर का सेट

बेक प्रस्तुतीकरण में छोंडा गया है तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है एवं खनन् कार्य रॉक ब्रेंकर के माध्यम से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खदान के बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अन्य खदानों का हॉलेज रोड़ है जिसका उपयोग हमारी खदान कार्यरत न होने के कारण अस्थाई रूप से किया जा रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का पूर्वी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह स्थिति पूर्व गूगल इमेज अनुसार 2018 से है तथा उनको खदान मार्च 22 में आवंटित हुई है तथा उनके द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, स्कूल की मरम्मत एवं पुताई इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 55 के सरल क्रमांक 14 पर दर्ज है । चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश–देशांश दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 32,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं मुरूम – 6525 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम रावड़ के प्राथमिक शासकीय विद्यालय की मरम्मत करवाकर उक्त विद्यालय में पुताई करवाई जावेगी ।	80,000
योग	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4210 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– करंज, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, बरगद, आदि।	880
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सप्तपर्णी, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, कदम आदि।	150
3.	गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– अचार, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, महुआ बरगद, करंज आदि।	300
4.	गांव क्षेत्र के शासकीय शाला एवं मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे :–कदम, पीपल, बरगद, पीपल, करंज, कहवा आदि।	100
5.	देपालपुर तहसील कार्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पाखड़ ,नीम ,आम, मोलश्री , कदम, पुत्रंजीवा, कचनार, हरसिंगार एवं कनकचम्पा इत्यादि ।	100
6.	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल , मुनगा आदि।	2680
		योग	4210

2. <u>Case No 9235/2022 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Shri Jagdish Singh, Authorized Signatory, Charu Residency, 308 Shiv City, Rajendra Nagar, Indore MP 7 452012 Prior Environment Clearance for Stone, M- Sand, Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 140000 Cum per annum, M-sand - 35000 Cum per annum, Murrum - 8800 Cum per annum) (Khasra No. 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 2479), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP)</u>

This is case of Stone, M- Sand, Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 2479), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 581वीं दिनांक 24/06/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सिंह और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार

प्रश्नाधीन खदान निजी भूमि पर आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर कच्चा रोड़ है, जिसके सरंक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ईएमपी में जल छिड़काव तथा रोड़ के दोनों ओर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के कुछ भाग की ऊपरी खुदी हुई दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पंचायत द्वारा उनके कार्य हेतु इस क्षेत्र से मिट्टी निकाली गई है, जिनकी जानकारी उन्होंने अपने पत्र क्रमांक–8 दिनांक 07/04/22 के माध्यम से दी है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रश्नाधीन खदान के उत्तर में 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा पूर्व दिशा में 560 मीटर पर नदी है, जिनके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए हैं । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुतीकरण में पावर की आवश्कता केव्हीए में दी गई है जबकि किलो वॉट में दिया जाना चाहिए जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एम–सेंड प्लांट एवं अन्य कार्यो हेतु 225 किलोवॉट पॉवर की आवश्यकता होगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, खेल के मैदान का समतलीकरण, उसकी फेंसिग/वाऊड्रीवाल निर्माण, रोड की मरम्मत एवं वृक्षारोपण इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 55 के सरल क्रमांक 02 पर दर्ज है । चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश–देशांश दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,40,000 मी^{3} प्रति वर्ष, एम–सेंड – 35,000 एवं मुरूम – 8800 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.46 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
तेलिया खेडी में माध्यमिक पाठशाला के सामने खेल के मैदान का समतलीकरण करवाया जायेगा साथ ही मैदान के चारों ओर मजबूत तार फेंसिंग की बॉऊडी करवा दी जावेगी।	1,40,000
नजदीकी 05 ग्राम के मवेशियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं वैक्सिनेशन कैम्प का आयोजन	80,000

करवाया जावेगा ।	
केम्पेल गॉव की रोड़ की मरम्मत	30,000
ग्राम पेड़मी में स्थित गोशाला में मवेशियों हेतु दवाईयॉ एवं वैक्सीन हेतु ।	1,00,000
योग	3,20,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	900
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	150
3.	ग्राम में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–करंज, कदम, पुत्रंजीवा, कहवा, करंज, मोलश्री, नीम, आदि।	50
4.	ग्राम कम्पेल के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आमला, आम, जामुन, अमरुद, कदम अमलतास, सदाबहार आदि।	50
5.	आसपास के ग्रामीणों को वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल , मुनगा आदि। (खनिज क्षेत्र के समीप स्थित खेतो के भू–मालिको को प्राथमिकता दी जाये)	3650
		योग	**4800**

3. <u>Case No 8679/2021 M/s Shobha Minerals, Dhamki Mining & Trading of Minerals, 765, Napier Town, Dist. Jabalpur, MP. Prior Environment Clearance for Dhamki Mn Ore Beneficiation Plant , Khasra no. Part of 178, at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur (MP). Lease area 3.60 ha., Production Capacity 80,000 Tonn/Year, Env. Consul. M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Dhamki Manganese Ore Beneficiation Plant at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur (MP). This is an ore beneficiation project comprising beneficiation of Manganese Ore (Pyrolusite). The project is covered under the provisions of EIA notification as item no. 2 (b), hence requires prior EC from

SEIAA. Application submitted by the PP was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री निर्मल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :–

Salient Features of the project:

S. n	Particulars	Details
1	Project	To Obtain TOR for MN Ore Beneficiation Plant with proposed capacity of 80,000 Ton per Year
2	Khasra number	Part of 178
2	Total Power requirement for process	4.4 KVA from MPSEB (18.3 Kwh power per ton of production)
3	Total Land available	3.60Ha
6	Water Requirement	Process water requirement : 110 M3/hr Water consumption/loss in the process : 10.0 M3/hr Recycled water : 100 M3/hr The overall consumption is 0.05 m3/ tone. Therefore, water requirement for the whole plant is 10 M3/hr
7	Tailing generation	8184 TPA on dry basis
8	Source of Raw water	From mining pit of captive mine
9	Cost of project	Rs 1.50 Crores
10	Capital Cost of Pollution Control Equipments	Rs 30.0 Lacs (Bag Filter, Dry Fog, Sprinkler- To be finalized during EIA study
11	Recurring cost for environmental management etc (Proposed)	Estimate will be given in EIA report, which will include O&M cost of EQMS, post environmental monitoring cost, plantation cost etc.
12	Number of employment generation	25 persons for Operation phase
13	Fund for CER activities	As per the out come of public hearing

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा वेनिफिशिएशन ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा किया जायेगा तथा केमिकल का उपयोग नहीं किया जायेगा । वेनिफिशिएशन के पश्चात् जनित टेलिंग्स का अपवहन खनन् द्वारा उत्पन्न पिट में ओबी के साथ किया जायेगा तथा शून्य निस्त्राव की स्थिति मेंनटेन की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रवितेदन समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त किया है, जिसमें कोई नॉन कम्पलाइंस नहीं पाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा आज दिनांक तक 1,110 पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है जिसकें फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में संलग्न किये गये है तथा लगभग 1100 पौधों का वृक्षारोपण इस वर्षाकाल (जुलाई 2023 में) में किया जाना प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, रोड़ का निर्माण, नियमित साफ सफाई, धूल की समस्या, वृक्षारोपण इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है जिसमें धमकी गांव में तथा तालाब के किनारे वृक्षारोपण भी प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा, डब्लू.बी.एम. रोड़ बनाया जायेगा तथा रोड़ की भार वाहन क्षमता अनुसार ही परिवहन किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मेग्नीज ओर बेनिफिकेश प्लॉट – 80,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 35.34 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 12.61 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
Proposal	**Details**	**Budget in Rs (Lacs)**
Providing infrastructure support to the Dhamki Village	• One kitchen room with platform, (1.0 Lcas) • Toilet at Govt. primary School, Dhamki with facility of water supply (Rs 1 Lacs) • One bore well at School. (Rs 1.50 Lacs) • 5KW solar panel with power back-up Rs 2.50 Lacs	6.00
Roads repair and maintenance	Repair & maintenance of road from bypass to Dhamki (@ 1.5km@2.0 lakh per Km)	3.00

Provision of hand pump and Borewell	Provision of hand pump and Borewell for drinking water at village Dhamki	1.50
Plantation at Village Dhamki	Plantation of 1000 trees at Village and around pond in Dhamki village within first year.	Cost counted in EMP Budget.
Total		**11.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2720 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Proposed Plantation			
Phase	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Location**
1st Year	Neem, Chirol, Awala, Khamar, Karanj, Subabul, Mango and other local species.	1620	In and Around plant
1st Year	Jamun, Neem, Chirol, Khamar, Karanj, Subabul, Mango and other local species	100	Evaculation Route (Min. hight 01 Meter)
1st Year	Neem, Mango, Awala, Munga, Jamun, Amrood, and other local species etc. At Keolari village	1000	For distribution of villagers

4. <u>प्रकरण क्रमांक 9023/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. पी303, पी309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, पी399, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 06.794 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन–3,00,000 टीपीए, ग्राम बरहीया, तहसील – मैहर जिला – सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. पी303, पी309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, पी399, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 6.794 हेक्टेयर, ग्राम बरहीया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल

द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजु सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एंड एम साल्यूशन नोयडा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में उत्तर–पूर्वी दिशा में एक कच्चा रोड़ लीज क्षेत्र से निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पास में स्थापित क्रेशर का हॉलेज रोड है तथा इसके दोनो ओर 10–10 मीटर तक खनन् कार्य नही किया जायेगा । इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 25 मीटर पर नेशनल हाईवे के कारण 25 मीटर का सेट बेक खनन् क्षेत्र में मिनरल कंसेशन रूल, 2016 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर आबादी के कारण दक्षिण–पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर ब्लास्टिंग नही की जायेगी तथा डीप होल ब्लास्टिंग के स्थान पर शर्ट होल ब्लास्टिंग (1.5 मीटर गहराई तथा डाया 33 एमएम–माफल कंट्रोल ब्लास्टिंग) तथा रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा। पश्चिम क्षेत्र में 40 मीटर पर तालाब के कारण 10 मीटर का सेट बेक छोडा जायेगा, इसके चारो ओर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा तथा इसके सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेंटलिग टेंक प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस लीज में पूर्व में 1996–97 तक खनन् कार्य किया गया है, उसके बाद से बंद है । आवंटित लीज में 15 पेड़ लगे है जिसमें से 09 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 90 पेड लगाये जा चुके है जिनके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर एवं पश्चिम दिशा में कुछ उद्योगिक गतिविधियां संचालित होती दिख रही है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आस–पास ग्रामीण द्वारा स्थापित ईट के भट्टे है जो विगत 02–03 वर्षो में कार्यरत है तथा आवंटित क्षेत्र में स्थापित भट्टा अवैध है जिसकी गतिविधियां हमारे द्वारा बंद कराई जा चुकी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 1990–91 से 1996–97 तक कार्यरत रही तथा उसके पश्चात् बंद है वर्तमान खदान की लीज वैधता 2031 तक है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो तालाब खदान से लगा हुआ है एंव खदान संचालन से मवेशी एंव आम लोगों को नुकसान होगा, खदान के पास स्कूल एंव ग्राम पंचायत भवन है, रात मे खनन कार्य किया जाता है, यहां पर 30 प्रतिशत् टी.बी. एंव दमा के मरीज है, जल छिड़काव का कार्य नही किया जाता है और ना ही गढ्ढों की भराई की जाती है एवं गढ्ढे मे गिरने से 01 बच्ची की मौत हो चुकी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तालाब के कारण 10 मीटर का सेट बेक छोडा गया है, खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा, खदान को चारो ओर से चेनलिंक फेसिंग के माध्यम से कवर

किया जायेगा जिससे जन/पशुधन की हानि न हो, खनन् कार्य सिर्फ दिन में ही किया जायेगा, आस–पास के गांव के लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जायेगा तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिडकाव किया जायेगा । समिति ने अनुसंशा की कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक तीन माह में किया जाये जिसे परियोजना प्रस्तावक ने सहर्ष स्वीकार किया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन – 3,00,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.10 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.55 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

S. No	Activities	Budget (Rs.)
1	**Sustainable Livelihood**	
(a)	Provide employment to the 50 local villagers (including direct & indirect form) The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	
(b)	Distribution of solar lamp/ solar cooker in village Barahiya	10000.00
2	**Charnoi Land Development**	
	Development of 5 ha Charnoi Land of village Barahiya	**25000.00**
3	**Infrastructure Development**	
	Construction of boundary wall and maintenance of road.	**50,000.00**
4	**Health**	
	Distribution of as sanitization kit (hand sanitizer, hand gloves and nose mask) and training to villagers for precautions needed in pandemic in village Barahiy a	**15,000.00**
	Heath check up camps (Quarterly in a year)	**100000.00**
	Donation of Instruments to PHC Barahiya	**25000.00**
5	Beautification of village Barahiya	
	To develop green belt around Panchayat and school building in village Barahiya	**30,000.00**
	Total	**255000.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8150 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	**Location**	**Name of Tree/shrub/ Herbs**	**No. of Plants**
1st year	In barrier Zone, wit hin lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	1300
1st year	In west towards Water reservoir (165m)	Jamun, Chirol, Neem, Aam, Karanj and other local species	200
1st year	Along transport route (120m)	Neem, Peepal, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	150
5th to CP	Backfilled Area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj, Chirol, Khamer, Sis soo, and other local species	2600
1st - 2nd year	Plantation around Sharda Devi Temple through Forest Deaprtment	Bel, Neem and Aonla and other local species as suggested by Forest Department.	3000
2nd-4th year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga and local species (खनिज क्षेत्र के समीप स्थित खेतो के भू–मालिको को प्राथमिकता दी जाये)	900
N.B. – Causality Replacement of trees will be done within 2 years maintenance of plants will be done till lease period.			**8150**

5. <u>Case No 9799/2023 Shri Sourabh Gupta, Director, M/s Madhya Bharat Agro Product Ltd. Rajuoa Sagar, Village Rajuoa, Tehsil Sagar, District- Sagar (MP)-470002, Prior Environmental clearance for enhancement in production capacity of Single Super Phosphate (SSP) & Granular Single Super Phosphate (GSSP) from 60000 MTPA to 132000 MTPA, and addition of new product namely Sodium Silica Fluoride-2000 MTPA and Gypsum Granular-60000 MTPA, at khasra No. 28, 120, 37, 121 Village-Rajauo, Tehsil & District-Sagar (M.P.)</u>

This is case of Prior Environmental clearance for enhancement in production capacity of Single Super Phosphate (SSP) & Granular Single Super Phosphate (GSSP) from 60000 MTPA to 132000 MTPA, and addition of new product namely Sodium Silica Fluoride-2000 MTPA and Gypsum Granular-60000 MTPA, at khasra No. 28, 120, 37, 121 Village-Rajauo, Tehsil & District-Sagar (M.P.)

The case was presented by PP Mr. Gopal Inani, Director & authorized representative and their environmental consultant Mr. Mukesh Kaore, M/s Creative Enviro Services, Bhopal. During presentation PP submitted that M/s Madhya Bharat Agro Product Limited (MBAPL) is a Limited Company Registered under Company Act 2013, is located at Khasra No. 28, 120, 37 & 121 Village Rajuoa, Tehsil Sagar District Sagar, Madhya Pradesh at 1.22 ha. land. The company is having a fertilizer plant, operating before 2006. The Company is proposed to enhance the production capacity of Single Super Phosphate & Granulated Single Super Phosphate 60000 MT/Annum to 132000 MT/Annum and addition of new products namely Sodium Silica Fluoride -2000 MT/Annum and Gypsum Granular – 60000 MT/Annum.

Salient Features

<table>
<tr><td>1.</td><td>Name of Project</td><td>Madhya Bharat Agro Products Limited</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Location of the Project</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Survey No.</td><td>28, 120, 37 & 121</td></tr>
<tr><td></td><td>Village</td><td>Rajuoa</td></tr>
<tr><td></td><td>Tahsil</td><td>Sagar</td></tr>
<tr><td></td><td>District</td><td>Sagar</td></tr>
<tr><td></td><td>State</td><td>Madhya Pradesh</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Area Specific Detail</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Project Area</td><td>12200 sqm.</td></tr>
<tr><td></td><td>Green Belt</td><td>4050 sqm.</td></tr>
<tr><td></td><td>Toposheet No.</td><td>55 I/9</td></tr>
<tr><td></td><td>latitude</td><td>23^{0}48’48.07” N</td></tr>
<tr><td></td><td>Longitude</td><td>78^{0}42’27.85” E</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Requirement</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total fresh Water requirement</td><td><table><tr><td>Head</td><td>Existing</td><td>Proposed</td><td>Total</td></tr><tr><td>Process</td><td>41.0</td><td>40.0</td><td>81.0</td></tr><tr><td>Domestic</td><td>5.0</td><td>2.0</td><td>7.0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total Power Requirement</td><td>1200 KVH</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Manpower Requirement</td><td>Approx-110</td></tr>
<tr><td></td><td>Environmental Protection Cost</td><td>35.0 Crores</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Detail of the Project Area</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Nearest Highway</td><td>3.0 km</td></tr>
<tr><td></td><td>Nearest Railway Station</td><td>Sagar at 5.5 km</td></tr>
<tr><td></td><td>Nerset Town</td><td>Sagar at 5.5 km</td></tr>
<tr><td></td><td>Neasrest Airport</td><td>Khajuraho 163 km</td></tr>
<tr><td></td><td>National Park, Sanctuaries, Biosphere Reserve, Wildlife corridors, Elephant/Tiger Reserve within 10 km</td><td>No National Park, Sanctuaries, Biosphere Reserve, Wildlife corridors, Elephant/Tiger Reserve within 10 km radius</td></tr>
</table>

	radius	
	Water Body	Seasonal Nala – 600m (West Direction)
	Nearest Village	Rajoua – 1.0 km

Land use

S. No.	Particulars	Area (sqm)
1	Total Land available	12200.00
2	Area for plant	4000.00
3	Raw material storage area	1000.00
4	Finish good storage shad	1000.00
7	Green belt area	4050.00
8	Office building	500.00
9	Open area	1650.00

During presentation PP submitted that since the plant was established before 2006, the EC was not obtained and plant is in operation on the basis of CTO from MP Pollution Control Board. The committee suggested that compliance of CTO conditions shall be submitted with EIA report. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

- Being expansion, certified compliance report of previous CTO conditions shall be submitted alongwith credible proof with EIA report.
- Justify through documentary evidances that plant was established prior to 2006 in EIA Report.
- Detailed plant layout on A3 size map.
- Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
- Comprehensive plantation scheme shall be submitted with EIA report.
- All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
- Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
- Control measures for air emissions such as Fluorine, HF and particulate emission from boiler shall be discussed in EIA report. PP shall explore the possibility of providing clean fuel in the boiler.
- How project will become “Zero Liquid Discharge” shall be discussed in the EIA report with complete details of treatment scheme, their various details and odour nuisance wrt to scrubbing waste and domestic effluent.

- Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
- Worst case scenario w.r.t. waste water and wastes should be submitted.
- All MSDS should be provided with the EIA report.
- Total quantity of H2SO4 (98%) required for proposed expansion and how storage of acid is proposed and additional demend will be fulfilled shall be discussed in EIA report.
- MSDS of all hazardous materials shall be annexed with EIA report.
- Disposal of solid and hazardous wastes shall be discussed in the EIA report.

6. <u>Case No 9646/2023 Mr. Kaushik Chakraborty, G.M (Mining)/ Environment, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Expansion of New Sethia OCP in an area of 144.453 ha. (Coal - 0.50 MTPA) (Khasra No. 306), Village-Sethia, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)- EC Amendment.</u>

This is case of Open Cast Mining Coal mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal under amendment in EC category for accommodate 10.09 MM3 of OB excavated from Chhinda OCP Expn into the void (western quarry).

The case was scheduled for presentation in the 627th SEAC meeting dated 03/03/23 wherein PP and consultant intends to connect through online mode of presentation but the connectivity could not be established trying several times due to network failure at PP's end. Thus committee decided that another opportunity shall be given to the PP and consultant to present their case in upcoming SEAC meeting.

The case was scheduled for presentation the case was presented by Environmental Consultant Shri V. K. Nagda from Central Mine Planning & Design Institute Limited, Ranchi, Jharkhand along with PP Shri Kaushik Chakraborty, G.M (MINING) & Environment (on-line) PP submitted following details about the proposal:

<u>Brief of the Project</u>

- Expn. of New Sethia OCP is an opencast coal mine located in Sethia Village, Parasia Tehsil, Dist. Chhindwara, Madhya Pradesh.
- EC has been accorded MoEF & CC, New Delhi vide letter no. J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 21.02.2017 for increase in production capacity from 0.20 MTPA to 0.50 MTPA and increase in land area from 91.503 to 144.453 ha. and subsequent

amendment in EC conditions has been accorded vide letter no. J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 30.11.2017. u/s of EIA, 2006.

- Currently extracting coal from western quarry. The mine is nearing exhaustion of coal reserves.
- The adjacent mine Chhinda OCP Expn.(production capacity of 0.65 MTPA) is temporarily discontinued since FY 2017-18 due to contractual issues and is now being taken up for re-starting operations (73.126 ha out of 106.68 ha.) but the issue is space/land for accommodating the excavated Overburden on surface as some quantum of land i.e.33.554 ha is still to be acquired out of the total land involved.
- Due to paucity of land and other geo-mining conditions, during Phase-I operations of Chhinda OCP Expn. will be limited to 73.126 ha only and simultaneous backfilling is not possible within the present acquired land area.
- Therefore, an EC condition needs to be incorporated along with the existing EC conditions dated 21.02.2017 & 30.11.2017, for which an amendment is required in fulfilment of the general condition no (a) (i) of EC as quoted in the previous slide.

Present Proposal

- An application for amendment in existing EC of Expn. of New Sethia OCP has been submitted to SEAC/SEIAA, MP vide dated 20-12-2022. As the land area of the project is 144.453 ha.(<500 ha i.e. 'B Category').
- There is no change in the mining method (opencast), production capacity (0.50 MTPA) and total land area of 144.453 ha.
- Expansion of New Sethia OCP is an operating mine currently extracting coal from western quarry. The mine is nearing exhaustion of coal reserves.
- The adjacent mine Chhinda OCP Expn. with production capacity of 0.65 MTPA in mine lease area of 106.68 ha. Out of 106.68 ha, mining operations are limited to 73.126 ha only, it includes quarry area, OB dump including embankment and infrastructure and the remaining 33.554 ha is yet to be acquired.
- The Chhinda OCP Expn. is temporarily discontinued since FY 2017-18 due to contractual issues and is now being taken up for re-starting operations (73.126 ha out of 106.68 ha.) but the issue is space/land for accommodating the excavated Overburden on surface as some quantum of land is still to be acquired out of the total land involved. Due to paucity of land and other geo-mining conditions, during Phase-I operations of Chhinda OCP Expn. simultaneous backfilling is not possible.
- As such, it is proposed, to fill the mine void (western quarry) of Expn. of New Sethia OCP with the OB of Chhinda OCP Expn. (Phase-I).

- So, the excavated OB of 10.09 Mm3 from Chhinda OCP Expn. can be accommodated in the already worked out western quarry void in Expn. of New Sethia OCP (nearing exhaustion) admeasuring 24 ha (approx.) there by reclaiming 24 ha of quarry area.
- This will not only help in increase in the reclaiming the excavated area of Expn. of New Sethia OCP but in addition, there will be saving of about 57 ha of surface land which would have been required for accommodating the same quantity of OB (10.09 Mm3) earmarked for dumping into the quarry void of Expn. New Sethia OCP.
- In view of the above, reference is hereby drawn to B. General Condition (a). (i) of the EC of Expn. of New Sethia OCP dated 21.02.2017 which stipulates the following

Committee observed that PP has applied in Form-4 with supporting documents regarding amendment of Prior EC issued vide letter no. No. J J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 21/02/2017 & 30.11.2017. PP has obtained Consent to Operate vide Outward No: No:115117 dated 01/04/2022 which is valid upto 31/05/2023 with condition that the mine management shall comply with the conditions of the Environmental Clearance granted to the mine by MoEF&CC and compliance submitted to this office from time to time.

PP submitted that earlier EC has been accorded to Expension of New Sethia OCP through MoEF on dated 21.02.2017 for increase in production capacity from 0.20 MTPA to 0.5MTPA and increase in land area from 91.503 ha. to 144.453 ha. and subsequent amendment in EC conditions has been accorded vide laetter no. J-11015/452/2007-IA.II (M) dated 30.11.2017.

PP further submitted that the reason for amendment in the issued EC is because New Sethia OCP is exhausted and it can accommodate 10.09 MM3 of OB excavated from Chhinda OCP Expn into the void (western quarry). This will help in reclaiming 24 ha., of excavated area upto ground level and save 57 ha. of surface land from degrading due to dumping OB of Chhinda OC. In addition to the above, it will help the adjacent Chhinda OCP Expn. to start production within the existing land area immediately to meet the thermal coal demand of Madhya Pradesh State. During presentation PP submitted that since designated land area could not be acquired thus they are seeking permission for disposal of OB. PP further submitted that considering existing heavy traffic density of coal transportation in the surrounding area, new Road Over Bridge (ROB) is proposed for shifting of OB. After presentation, committee asked PP to submit following details:-

1. Detailed carbon footprint assessment due to OB transport and construction of new ROB.
2. Commitment that the proposed proposal of disposal of OB is only for three years and desired land will be acquired within 03 years time and after that no OB will be transported.
3. Revised plantation scheme with time schedule and CER as suggested by committee during presentation.
4. Commitment that New Sethia OCM is exhausted and no mining is proposed in this area.

7. <u>Case No 9578/2023 Mr. Kaushik Chakraborty, G.M (MINING)/ ENVIRONMENT, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Chhinda OCP Expn. in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA) [(Amendment in EC for accommodating OB into the adjacent Expn. of New Sethia OCP mine void)], at Village-Chhinda, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP).-EC Amendment.</u>

This is case of Open Cast Mining Coal mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal under amendment in EC category for accommodating OB into the adjacent Expn. of New Sethia OCP mine void for Chhinda OCP Expn. in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA) at Village-Chhinda, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP).

The case was scheduled for presentation in the 627th SEAC meeting dated 03/03/23 wherein PP and consultant intends to connect through online mode of presentation but the connectivity could not be established trying several times due to network failure at PP's end. Thus committee decided that another opportunity shall be given to the PP and consultant to present their case in upcoming SEAC meeting.

The case was scheduled for presentation the case was presented by Environmental Consultant Shri V. K. Nagda from Central Mine Planning & Design Institute Limited, Ranchi, Jharkhand along with PP Shri Kaushik Chakraborty, G.M (MINING) & Environment wherein it was obswerved that PP has applied in Form-4 with supporting documents regarding amendment of Prior EC issued vide letter no. No.J-11015/119/2011-IA.II(M) dated 15/01/2014. PP has obtained Consent to Operate vide Outward No: 115104 dated 29/03/2022 which is valid upto 31/05/2023 with condition that the mine management shall comply with the conditions of the Environmental Clearance granted to the mine by MoEF&CC and compliance submitted to this office from time to time.

PP submitted reasons for amendment in the issued EC that " Chhinda OCP Expn. is temporarily discontinued since 2017-18 due to contractual issues & now proposed for re-starting but issue is space for accommodating the OB on surface as some quantum of land is still to be acquired out of the total land involved. So it is proposed that till such physical possession of land, the excavated OB from Chhinda OCP Expn. (under same area) to be accommodated in the adjacent already worked out quarry void in Expn. of New Sethia OCP (nearing exhaustion) and there is no proposal for further working ."

PP stated that the Specific Condition mentioned under no. xxxii of the existing issued Environmental Clearance granted by MoEF&CC issued vide letter no. No.J-11015/119/2011-IA.II(M) dated 15/01/2014 as stipulated needs to be amended in fulfillment of the General Condition no. (i) in the issued EC as " No change in mining technology and scope of working shall be made without prior approval of the MoEF".

PP further submitted that there is no change in the capacity of the mine as well as land area vis-à-vis the existing EC of Chhinda OCP Expansion, no change in the mining method has been proposed. The calander programe has been revised but within the sanctioned EC capacity and within the provision of OM dated 14.05.2020 issued by MoEF&CC. The open cast mining activites at Chhinda OCP Expansion have been concentration in 73.126 ha. of land which is physical possession and balance land 33.554 ha. out of the total project/ sanctioned EC land area of 106.68 ha. is still to be acquired.

In this context it is mentioned that the Western quarry (the identified void) of adjacent expansion of New sethia OCP (nearing exhaustation) In this part the query void is available for filling as no longer xploitation is envisaged in future.

PP further submitted that the reason for amendment in the issued EC is because New Sethia OCP is exhausted and it can accommodate 10.09 MM3 of OB excavated from Chhinda OCP Expn into the void (western quarry). This will help in reclaiming 24 ha., of excavated area upto ground level and save 57 ha. of surface land from degrading due to dumping OB of Chhinda OC. In addition to the above, it will help the adjacent Chhinda OCP Expn. to start production within the existing land area immediately to meet the thermal coal demand of Madhya Pradesh State. During presentation PP submitted that since designated land area could not be acquired thus they are seeking permission for disposal of OB in adjoining mine. PP further submitted that considering existing heavy traffic density of coal transportation new road over bridge (ROB) is proposed for shifting of OB. After presentation, committee asked PP to submit following details:-

1. Detailed carbon footprint assessment due to OB transport and construction of new ROB.
2. Commitment that the proposed proposal of disposal of OB is only for three years and desired land will be acquired within 03 years time and after that no OB will be transported.
3. Revised plantation scheme with time schedule and CER as suggested by committee during presentation.
4. Commitment that New Sethia OCM is exhausted and no mining is proposed in this area.

8. <u>Case No 9422/2022 Shri Devendar Chowksey S/o Shri Narmada Prasad Chowksey R/o Dvision 08, E-8 Bawadiyakalan, Bhopal (MP)-462023 . Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). [Total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre).] Cat. 8(b) Townships and Area Development projects. Env. Consultant: M/s. Global Mangement & Engineering Consultants International , Jaipur (Raj.)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). The total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre). The proposed project consists of Hotels, Duplex, Flats, Multi-story building, Commercial Shops, Club house and Hotel.

The ToR was recommended in 609th SEAC meeting dated 07.12.22. PP has submitted EIA report and thus the case was scheduled in agenda.

The case was presented by PP Shri Devendra Chocksay, Mr. Vikas Shukla, Architect and their Environmental Consultant Ms. Tushali Jagwani from M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur in the 632nd SEAC meeting dated 21/03/23.

During presentation PP submitted that previously they have submitted project proposal through M/s Global management & Engineering Consultant International, Jaipur but their validity of accreditation was thus to avoid further delay in appraisal, they have now hired M/s M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultant LLP, Gurugram as project consultant for EC. During presentation, PP submitted that they again have recently changed their consultant and now M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur is their consultant for

which they have intimated through mail (to SEIAA & SEAC on dated 18/03/23) with an affidavit dated 18/03/23 for change of consultant. Fllowing details were submitted by the consultant:

- The proposed project "Rudraksh Kingston" Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Project by Shri. Devendra Chouksey S/o Shri. N.P. Chouksey which is to be developed at Village – Bawadiya kalan, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, & State – Madhya Pradesh.
- The total plot size for the project is 97,150 m^2 (24 acre). The project will be developed for Commercial and residential purpose.
- Flats + Duplex + EWS + LIG + Commercial Shop + Hotel + School, Basements: Parking & Services
- The Total Built up Area for Residential and Commercial 2,94,024 m^2, which is greater than 1,50,000.00 m^2 therefore, the project comes under schedule 8(b); category B as per the EIA Notification 14th September, 2006.
- The Co-ordinates of the project site are latitude from 23°10'43.56"N to 3°10'43.50"N and longitude from 77°26'48.21"E to 7°26'48.14"E. The project is covered in toposheet no. – F43F7, Survey of India (SOI).
- Field studies has been referenced nearby project study which is almost attached to the project site for the period 1st March 2022 to 31st May 2022 (Pre - Monsoon) to determine the existing conditions of various environmental attributes.

S. No.	Particulars	Area (m^2)
1	Total Land	97150 (24.00 Acres)
2	Area Under 60 M Road	12847.65 Sqm
3	Area Under 24M Road	2904.61 Sqm
4	Planning Area including future development	81,397.74
5	Ground Coverage Area (30 %)	24,419.32
6	Total Built Up Area (FAR)	1,69,658.00
7	Total Built Up Area (Non FAR)	1,24,366.00
8	Total Built Up Area (FAR + Non FAR)	2,94,024.00
9	Green Area	8,139.77
10	Hotel (2)	75 Rooms each
11	Club House	5574.18
12	No. of EWS & LIG	EWS - 30 units, LIG - 20 Units
13	No. of Commercial Shops	500.00
14	Basement Area	64591.96
15	Parking Details (Basement, Stilt, Open)	2 Levels of Basement Parking Only
16	Total No. of Units (Flats)	486.00

17	Total No. of Units (Duplex)	52.00
18	Road MOS	Front 15, Sides 7.5

Items	Salient Features of the project
Name of Project	"Rudraksh Kingston" Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building
Name of the Project Proponent	Shri. Devendra Chouksey S/o Shri. N.P. Chouksey
Location	Village – Bawadiyakalan, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, & State – Madhya Pradesh.
Nearest Railway Station	Misrod Railway Station is about 1.67 km in SE Direction
Nearest Airport	Bhopal Airport: 16.32 in NW Direction
Nearest Highway	NH – 46 : 6.67km in East Direction
Size of plot	97,150 Sqm. (24 Acre)
Total Built Up Area	2,94,024.00 sqm
Building Height	45 M (As Mentioned in T&CP Letter Point No. 05)
Estimated Population	11,043
Total Water Requirement	1028.505 KLD
Fresh Water Requirement	633.505 KLD
Flushing Water	395 KLD
Power Requirement	Approx 5091.524 KW
STP Capacity	900 KLD
D.G. Sets	There is provision of 6 no. of DG set of total capacity 2125 kVA (3*500=1500 kVA + 250 kVA + 250 kVA +125 kVA) for power back up in the Project.
Solid Waste Generated	1808.23 Kg/day
Project Cost	227.06 rores

During presentation it was observed by the committee that there are several mistakes in the EIA report which are grave in nature and needs clarification from PP/Consultant and revision in EIA report such as, In Chaptor-I of EIA at page no. 5 it is mentioned under heading *"Consent to Establish & Consent to Operate"- The unit had already obtained CTE & CTO before start of construction. As the project is a violation case and project has been prosecuted. Therefore, CTE/CTO are null & void and project proponent will obtain a fresh after obtaining Environment Clearance (EC)",* while at the time of ToR neither this fact was not mentioned not was evident from the Google image. PP was also flabbergasted knowing above statement mentioned in the EIA report and immediately submitted that it's not a case of violation and the contants mentioned in the EIA report are falls and misleading. Thus committee asked PP and their newly appointed consultant M/s. Vibrant

Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur to review the entire EIA and revise the same as per given ToR and site conditions for further consideration of this case.

PP submitted the reply online through Portal and the case was scheduled in agenda.

The case was presented by PP Shri Devendra Chocksay, Mr. Vikas Shukla, Architect and their Environmental Consultant Ms. Tushali Jagwani from M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur in the 632nd SEAC meeting dated 21/03/23.

During presentation PP submitted that existing nalla is a part of bawadia kalan village. In our project the waste water will be treated in our proposed STP having the capacity of 900 KLD. The sewage generated during operation phase (870.25 KLD) is treated in STP of MBBR technology of 900 KLD capacity. The treated sewage will be recycled/ reused for toilet flushing horticulture in the project site. We will have 280 to 328 KLD surplus treated water which will be disposed of through Municipal sewer line under Amrit Yojna by BMC. The railway line is more than 400 m from the project boundary and in between the project boundary and railway line entire village Bawadia Kalan and other residential colonies have already been developed. As per the Indian railway Standards a project can be started leaving 30 m from the railway property or land. Green area of 8,139.77 m² (10 % of the total planning area) has been proposed on the project site, which will be along the road side and in the landscape area. During construction, 64 trees has to be fell from the project site which permission has been already obtained from ACF, CPA vide letter no. 1934 dated 18/12/18. 30 trees will be transplant from their location to the periphery of the project site and total 539 trees will be planted on the project site. During presentation PP further submitted that 3,22,958.8 cubic meters mixed soil will be excavated during the construction of the building and out of this approx. 95000 Cubic meter top-soil will be used for plantation and landscaping. Rest material will be utilized for the backfilling of the entire project site which is undulated. In operation phase, total water requirement for the project is 1029 KLD. Out of total water requirement, 633.50 KLD will be domestic water met from the Municipal water supply. The sewage generated during operation phase (870.25 KLD) is treated in STP of MBBR technology of 900 KLD capacities. The treated sewage will be recycled/ reused for toilet flushing horticulture in the project site. The surplus treated water which will be disposed of through Municipal sewer line under amrit yojna by BMC. The rainwater will be collected through piped drains and conveyed into rainwater harvesting system for which 26 pits are proposed. All storm water drains have been designed for adequate size and slope such that there shall not be any flooding in the site. It shall be ensured that no wastewater shall enter into storm water drainage system. During presentation, PP submitted that they have obtained fire NOC. After presentation and submissions made by the RudrakshKingston were found to be satisfactory and acceptable hence the case was

recommended for grant of Prior Environment Clearance for"Rudraksh Kingston" Multi-Storey Residential and Commercial Project at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). [Total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre).] Cat. 8(b) subject to the following special conditions:

I. Statutory Compliance

i. The PP shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The PPshall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from MP State Pollution Control Board.
iv. The PPshall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, C&D Waste Rules, 2016 and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The PPshall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. Diesel power generating set of 6 with total capacity of 2125 kVA (3*500=1500kVA+ 250 kVA+ 250 kVA+ 125kVA) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of proposed DG set. Use of low Sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

iv. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

v. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vi. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emission from DG sets of 6 with total capacity of 2125 kVA (3*500=1500kVA+ 250 kVA+ 250 kVA+ 125kVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the

site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 1028.505 KLD out of which 633.505 KLD will be freshwater requirement and 870 KLD will be the total recycled water generated, out of which 395 KLD recycled water will be used for flushing and 23 KLD water will be used for horticulture, 60 KLD water will be used for HVAC and 280 to 328 KLD surplus treated water (Season wise) shall be disposed of through Municipal sewer line under AMRIT YOJNA by BMC.

iv.

v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.

vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building

bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiv. For rainwater harvesting, 26 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits is about 28.26 m3/hr.Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xvi. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xviii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xix. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.

xx. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity 900 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. Project will have 280 to 328 KLD surplus treated water (Season wise) which will be disposed of through Municipal sewer line under AMRIT YOJNA by BMC.

xxi. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 900 KLD capacity(based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxiii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiv. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
iv. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. Total waste 2932.00 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 1319.4 Kg/day and non- organic waste 1612.6 Kg/day), E- waste 146.6 Kg/Annum , and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

i. Total 539 trees will be planted on the project site of big foliage for more green cover area (approximately 5X5 meters) and more than 20% green cover area shall be maintained as follows:

Sr. No.	Plant Name	No. of Tree
1	Neem	50
2	Sita Ashok	50
3	Molshri	50
4	kadamb	50
5	Kanakchampa	50
6	Pakad	20
7	Putranjeeva	30
8	Saptparni	30
9	Kachnar	45
10	Kigelia	44
12	Gulmohar	50
14	Pride of India	20
16	Robinia	20
17.	Mango (Transplantation)	30
total		539

ii. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. 64 trees to be uprooted from the project site as per the permission obtained from the compitent authority.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
b. Traffic calming measures.

c. Proper design of entry and exit points
d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. The project has proposed parking space of 1897 ECS as against the mandatory requirement of 1699 ECS. No public place will be used for parking of vehicles reducing traffic jam and less vehicular pollution.

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. **EMP Corporation Environment Responsibility**

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 190.5 Lakhs as capital and Rs.68.15 Lakhs as recurring cost for this project (Both as Constructional Phase and Operational Phase).

vi. For this project, PP has proposed Rs 10.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:

CER BUDGET		
1.	Van Vihar National Park habitat development and staff welfare	05 lakhs
2.	Nutritious food for Anganwadi center	2.5 lakhs
3.	Drinking water facilities for nearby areas	2.5 lakhs
Total		**10 lakhs**

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

9. <u>Case No 8726/2021 Shri Sandeep Sood S/o Late Shri Satyapal Sood, H.No. 37, Rohit Nagar, Phase-I, Bawadiya Kalan, Dist. Bhopal, MP - 462026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (3040 cum per annum) (Khasra No. 267, 270), Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida, UP .</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 267, 270), Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 538वीं दिनांक 06/01/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की पूर्व 625वी बैठक दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप सूद (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.

लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खदान अद्यतन की जावेगी चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोड़ का रख–रखाव, वृक्षारोपण, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा ।

प्रस्तुतीकरण में पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक क्रेशर लगा हुआ है, उत्तरी दिशा से खनन् क्षेत्र से लगी हुई कच्चा रास्ता निकल रहा है तथा खनन् क्षेत्र के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्रेशर को स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र में अन्य स्थान पर स्थापित किया जायेगा किंतु प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नही कर सके जिससे यह स्पष्ट हो पाये कि किस स्थान पर नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में उत्पादन क्षमता 3040 घनमीटर प्रतिवर्ष ही है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि चूकि आवंटित खनन् क्षेत्र सिर्फ 01 हे. का है तथा पूर्व से खुदा हुआ है अतः नियमानुसार वे खनन् क्षेत्र के पास स्थित रोड़ के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडते हुए पुनरीक्षित उत्पादन मेप प्रस्तुत करे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित क्षेत्र के किस भाग में कितनी गहराई तक खनन् किया जाना संभव है तथा क्रेशर की स्थापना कहां की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जबाब प्रस्तुत कर दिया है जिस कारण प्रकरण सूचीबंद्ध किया गया है । परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप सूद (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान में लीज में स्थापित क्रेशर को डिसमेंटल कर लीज के बाहर स्थापित किया जायेगा तथा क्रेशर हटाने के पश्चात् उपलब्ध खनन् क्षेत्र में अधिकतम 06 मीटर की गहराई तक खनन् कार्य मात्र 0.25 हे. क्षेत्र में किया जायेगा चूंकि स्वीकृत उत्पादन क्षमता मात्र 3040 घन मीटर प्रति वर्ष है जो उपलब्ध क्षेत्र से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में जो कच्चा रोड़ है वह आवंटित क्षेत्र से 20 मीटर की दूरी पर है तथा उत्तर दिशा में कच्ची रोड़ का कुछ भाग लीज से लगा हुआ है जो आसपास स्थित खदानों का हॉलेज रोड़ है, जिस कारण एमएमआर 1996 अनुसार 10 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 3040 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.99 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.57लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम मालीखेड़ी में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा।	40,000/–
ग्राम मालीखेड़ी के ग्रामीण और बच्चो के लियें साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा।	20,000/–
पशु चिकित्सालय के माध्यम से ग्राम मालीखेड़ीं के पशुओं का टीकाकरण कराया जायेगा।	10,000/–
पीपी द्वारा गाँव के सड़क की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता की जायेगी ।	20,000/–
योग	90,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	बबूल, नीम, पीपल,, आम अशोक, सीताफल, अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	800
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	बबूल, नीम, पीपल, जामुन, आम , सप्तपर्णी उपलब्ध देशी प्रजातियां।	100
3.	ग्राम मलिखेड़ी के शासकीय विद्यालय में	आम, नीम, पीपल, कदम्ब, करंज सीताफल, अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	30
4.	मलिखेड़ी और बरखेड़ानाथू ग्रामवासीयो में वितरण हेतु	आम, आंवला, कटहल, जामुन, नीम, पीपल, अमरूद, पपीता, नींबूहर्रा, बहेड़ा और देशी प्रजातियां।	270
		योग	1200

10. <u>Case No 9564/2022 Shri Akshay Tuteja, Owner, 32, Lavkush Nagar, District-Khandwa (MP)-450001 Prior Environment Clearance for Siwariya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 370 Govt.), Village-Siwariya, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 370), Village-Siwariya, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की पूर्व 625वी बैठक दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अक्षय टुटेजा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में ग्राम शिवरिया तहसील पुनासा जिला खण्डवा की शासकीय भूमि खसरा नं. 370 पर रकबा 1.20 हे. पर खनिज पत्थरा गिट्टी उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा मे 950 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 400 मीटर पर इंदिरा सागर डेम, उत्तर दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 19/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जो भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, इस उत्खनिपट्टा को सम्मिलित किया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

आवंटित खनन् क्षेत्र में गूगल इमेज अनुसार अक्टूबर, 2021 से जनवरी, 22 के मध्य खनन् गतिविधि होती दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान उनके नाम से 01/6/17 से 05 वर्ष के लिये स्वीकृत हुई थी जिसको डिया के पत्र क्रमांक 85 दिनांक 25/04/17 से स्टोन – 20,365 घनमीटर प्रतिवर्ष ईसी प्राप्त थी तथा खनन् अधिकारी द्वारा लीज की वैधता खत्म होने के कारण पुनः ईसी प्राप्त करने के निर्देश नये स्वीकृति आदेश (पत्र क्रमांक 928 दिनांक 10/11/22) में दिये है अतः उनके द्वारा नवीन आवेदन स्टोन – 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है । समिति ने पाया कि गूगल इमेज अनुसार खदान में एवं आस–पास पर्यावरण सरंक्षण हेतु कोई कार्य किया जाना दृष्टिगत नही हो रहा है और ना ही परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत कर सके । अतः समिति ने परियोजना

प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे डिया से प्राप्त ईसी की शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रमाणिक दस्तावेजो/फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जबाब प्रस्तुत कर दिया है जिस कारण प्रकरण सूचीबंद्ध किया गया है । परियोजना प्रस्तावक श्री अक्षय टुटेजा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व ई.सी. अनुसार उनको 100 पौधे लगाने थे जिसके विरूद्ध उन्होने 150 पौधो का वृक्षारोपण किया है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र की फेंसिग भी की गई है जिसके फोटोग्राफ व बिल प्रस्तुतीकरण में संलग्न है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सी.ई.आर. के तहत उनके द्वारा ग्रामीण रोड की मरम्मत तथा कोविड काल में गांव वालो को मास्क उपलब्ध कराये गये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्यः–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, खमेर, सिस्सू, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	400
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	150
3	ग्राम सिवारिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, मुनगा, कचनार , आवला, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद , पीपल आदि।	60
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1790
		योग	2400

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
ग्राम सिवारिया के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से जरुरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	**70,000**

11. <u>Case No 9183/2022 Shri Jakiuddin Kaji, Owner, Juna Bazar, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 172 Govt.), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant : Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 172), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 575वीं दिनांक 30/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की पूर्व 632वी बैठक दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जकीउद्दीन काजी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में 2021 में आवंटित हुई है, पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है, सरफेस मेप पर पिट दिखाया गया है तथा हमारे द्वारा खनन् नही किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ के कारण प्रस्तुतीकरण में 60 मीटर का सेट बेक प्रस्तावित किया गया है तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड के संबंध में अवगत कराया है, कि यह पास में स्थापित क्रेशर का साईट ऑफिस है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक ने जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव मे वृक्षारोपण, रोजगार, ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा एंव फसल खराब होने संबंधी बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में विंड ब्रेकिग वॉल तथा पक्का रोड़ बनाने का प्रस्ताव दिया गया है किंतु प्रस्तुतीकरण में दिखाए गये ई.एम.पी. में यह प्रस्ताव शामिल नही किया गया है अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है :–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिये गये प्रस्ताव अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।

2. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जबाब प्रस्तुत कर दिया है जिस कारण प्रकरण सूचीबंद्ध किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजन प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित ई.एम.पी. तथा वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कर दी गई है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.25 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम जहानाबाद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल और रंग रोगन का कार्य किया जायेगा	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	450
2.	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	550
4.	खनन पट्टे के भीतर दक्षिण पश्चिमी दिशा में लगभग 0.1000 हैक्टर में नॉन माईंनिग एरिया में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	120
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1280
		योग	2400

12. <u>Case No 9801/2023 M/s Param Agencies, Authorized Person, Shri Vishwas Parmani, R/o HIG-441, E-7, Arera Colony, District-Bhopal (M. P.)-462016, Prior Environment Clearance for Peepalneriya River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (50000.04 Cum per annum) (Khasra No. 221) Village- Peepalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 221) Village- Peepalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वास परमानी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट एल.एल.पी., गुड़गांव उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 630 दिनांक 04/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जानी है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–43 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–50,000.04 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50,000.04 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सिया को अवगत कराया है (जिसकी प्रतिलिपि सेक को भी दी गई है तथा दोनो ही संस्थानों – सिया एवं सेक को मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है) कि उनके द्वारा अक्षांस–देशांस का पुर्न सत्यापन कराया गया तथा संशोधित अक्षांस–देशांस को मान्य करने का अनुरोघ किया है, संशोधित अक्षांस–देशांस को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश करने का अनुरोध भी किया है तथा संशोधित अक्षांस–देशांस पत्र के साथ प्रेषित किये है । अतः समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम प्राप्त संशोधित अंक्षास–देशांस को पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर–पूर्व दिशा में एक मौसमी नदी मिल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मौसमी नदी आवंटित खनन् क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज वर्षाकाल नबम्वर, 22 की है तथा पूर्व की गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र में रेत उपलब्ध है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि देवास जिले में स्थित रेत खदानों में माह अप्रैल से जून तक जल स्तर कम हो जाने के कारण डी.एस.आर. में उल्लेखित मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध रहती है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 50,000.04 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर–पश्चिम दिशा से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि इस खदान के खजिन साधन विभाग द्वारा जारी एल.ओ.आई. एवं लीज आदेश में त्रुटिवश क्षेत्र 4.00 हे. दर्शित हो गया है जिस हेतु म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने पत्र क्रमांक 2192 दिनांक 01/09/20 के द्वारा यह आदेश जारी किया है कि इस खदान का रकबा 4.00 हे. के स्थान पर सुधार कर 5.00 हे. माना जाये । समिति ने पाया कि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पत्र दिनांक 01/09/20 तथा इसके पश्चात् जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन कराया गया है जिसमें एरिया 4.0 हे. दिया गया है तथा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, देवास के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/23 के माध्यम से प्राप्त पुनरीक्षित अक्षांस–देशांस के अनुसार भी आवंटित खनन् क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 4.00 हे. ही आता है अतः समिति की अनुशंसाा है कि इस प्रकरण में स्वीकृत खनन् क्षेत्र 4.00 हे. ही माना जाये तथा परियोजना प्रस्तावक इस 4.00 हे. में से ही रेत का इवेक्वेशन करे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित

होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 50,000.04 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये तथा खनन् 4.00 हे. क्षेत्र में ही किया जाये।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.59 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.91 लाख प्रति वर्ष ।
5. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 5000 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्यः–

क्र .	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों मे)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	3000
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	500
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम मे तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	1500
		योग	**5,000**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
नजदीक के शासकीय प्राथमिक शाला में बेंच व 25 कुर्सियों की व्यवस्था	10,000
ग्राम के नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	20,000
योग	30,000

13. <u>Case No 9802/2023 M/s Param Agencies, Authorized Person, Shri Vishwas Parmani, R/o HIG-441, E-7, Arera Colony, District-Bhopal (M. P.)-462016, Prior Environment Clearance for Gajanpur River Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (36000 Cum per annum) (Khasra No. 55) Village- Gajanpur, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 55) Village- Gajanpur, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वास परमानी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट एल.एल.पी., गुड़गांव उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 699 दिनांक 07/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जानी है तथा इसका नाम गजनपुर–05 है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–20 के सरल क्रमांक–44 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सिया को अवगत कराया है (जिसकी प्रतिलिपि सेक को भी दी गई है तथा दोनो ही संस्थानों – सिया एवं सेक को मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है) कि उनके द्वारा अक्षांस–देशांस का पुर्न सत्यापन कराया गया तथा संशोधित अक्षांस–देशांस को मान्य करने का अनुरोघ किया है, संशोधित अक्षांस–देशांस को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश करने का अनुरोध भी किया है तथा संशोधित अक्षांस–देशांस पत्र के साथ प्रेषित किये है । अतः समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम प्राप्त संशोधित अंक्षास–देशांस को पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के अधिकांश भागो में पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज फरवरी, 21 की है तथा अप्रैल से

जून के माह में पानी उतर जाने पर रेत उपलब्ध होती है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि देवास जिले में स्थित रेत खदानों में माह अप्रैल से जून तक जल स्तर कम हो जाने के कारण डी.एस.आर. में उल्लेखित मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध रहती है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि स्वीकृत मात्रा मात्र 36,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर दिशा से किया जायेगा। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर एक रोड ब्रिज नदी के डाऊनस्ट्रीम में है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज नदी के डाऊनस्ट्रीम में 750 मीटर की दूरी पर है जो संस्टेनेविल सेंड माईनिंग गाईड लाईन के अनुसार न्यूनतम सुरक्षित दूरी 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियेाजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 36,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.43 लाख प्रति वर्ष ।
5. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 2000 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य :–

क्र .	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों मे)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	1500
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	300
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम मे तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	200
		योग	**2,000**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
शासकीय प्राथमिक शाला गजनपुर में 5 बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	20,000
ग्राम गजनपुर के पास में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के सुझावानुसार सामग्री का वितरण	20,000
योग	40,000

14. <u>Case No 9803/2023 M/s Param Agencies, Authorized Person, Shri Vishwas Parmani, R/o HIG-441, E-7, Arera Colony, District-Bhopal (M. P.) Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 River Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (36000 Cum per annum) (Khasra No. 55) Village- Gajanpur, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 55) Village- Gajanpur, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वास परमानी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट एल.एल.पी., गुड़गांव उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 698 दिनांक 07/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जानी है तथा इसका नाम गजनपुर–05 है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–44 के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सिया को अवगत कराया है (जिसकी प्रतिलिपि सेक को भी दी गई है तथा दोनो ही संस्थानों – सिया एवं सेक को मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है) कि उनके द्वारा अक्षांस–देशांस का पुर्न सत्यापन कराया गया तथा संशोधित अक्षांस–देशांस को मान्य करने का अनुरोघ किया है, संशोधित अक्षांस–देशांस को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश करने का अनुरोध भी किया है तथा संशोधित अक्षांस–देशांस पत्र के साथ प्रेषित किये है । अतः समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम प्राप्त संशोधित अंक्षास–देशांस को पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत भाग में पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज फरवरी, 21 की है तथा अप्रैल से जून के माह में पानी उतर जाने पर रेत उपलब्ध होती है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि देवास जिले में स्थित रेत खदानों में माह अप्रैल से जून तक जल स्तर कम हो जाने के कारण डी.एस.आर. में उल्लेखित मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध रहती है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि स्वीकृत मात्रा मात्र 36,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर दिशा से किया जायेगा। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 600 मीटर पर एक रोड ब्रिज नदी के डाऊनस्ट्रीम में है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज नदी के डाऊनस्ट्रीम में 600 मीटर की दूरी पर है जो संस्टेनेविल सेंड माईनिंग गाईड लाईन के अनुसार न्यूनतम सुरक्षित दूरी 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार

वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियेाजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 36,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.48 लाख प्रति वर्ष ।
5. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 2,000 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्यः–

क्र .	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या मे)
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों मे)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	1500
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	300
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम मे तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	200
		योग	**2,000**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
शासकीय प्राथमिक शाला गजनपुर में बेंच व 55 कुर्सियों की व्यवस्था	20,000

ग्राम गजनपुर के पास में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के सुझावानुसार सामग्री का वितरण	20,000
कुल	**40,000**

15. <u>Case No 9804/2023 M/s Param Agencies, Authorized Person, Shri Vishwas Parmani, R/o HIG-441, E-7, Arera Colony, District-Bhopal (M. P.) Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 76) Village-Bhanjakhedi, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 76) Village-Bhanjakhedi, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वास परमानी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट एल.एल.पी., गुड़गांव उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 696 दिनांक 07/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जानी है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–43 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–25,000.02 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सिया को अवगत कराया है (जिसकी प्रतिलिपि सेक को भी दी गई है तथा दोनो ही संस्थानों – सिया एवं सेक को मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है) कि उनके द्वारा अक्षांस–देशांस का पुर्न सत्यापन कराया गया तथा संशोधित अक्षांस–देशांस को मान्य करने का अनुरोघ किया है, संशोधित अक्षांस–देशांस को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश करने का अनुरोध भी किया है तथा संशोधित अक्षांस–देशांस पत्र के साथ प्रेषित किये है । अतः समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम प्राप्त संशोधित

अंक्षास–देशांस को पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत भाग में पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज दिसंबर, 21 की है तथा अप्रैल से जून के माह में पानी उतर जाने पर रेत उपलब्ध होती है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि देवास जिले में स्थित रेत खदानों में माह अप्रैल से जून तक जल स्तर कम हो जाने के कारण डी.एस.आर. में उल्लेखित मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध रहती है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि स्वीकृत मात्रा मात्र 25,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.48 लाख प्रति वर्ष ।
5. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 4000 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य :–

क्र .	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों मे)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	3,000
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	200
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम मे तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	800
		योग	**4,000**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	**Cost in Rs**
भाँजाखेड़ी के पास स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बेंच व 55 कुर्सियों की व्यवस्था	10000
ग्राम भाँजाखेड़ी के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के सुझावानुसार सामग्री का वितरण	20000
योग	30,000

16. <u>Case No 9805/2023 M/s Param Agencies, Authorized Person, Shri Vishwas Parmani, R/o HIG-441, E-7, Arera Colony, District-Bhopal (M. P.) Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-2 River Sand Quarry in an area of 0.820 ha. (8200 Cum per annum) (Khasra No. 76) Village-Bhanjakhedi, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 76) Village-Bhanjakhedi, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP) 0.820 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वास परमानी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट एल.एल.पी., गुड़गांव उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 697 दिनांक 07/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में

01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जानी है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–43 के सरल क्रमांक 09 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–8200.02 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से सिया को अवगत कराया है (जिसकी प्रतिलिपि सेक को भी दी गई है तथा दोनो ही संस्थानों – सिया एवं सेक को मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है) कि उनके द्वारा अक्षांस–देशांस का पुर्न सत्यापन कराया गया तथा संशोधित अक्षांस–देशांस को मान्य करने का अनुरोघ किया है, संशोधित अक्षांस–देशांस को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश करने का अनुरोध भी किया है तथा संशोधित अक्षांस–देशांस पत्र के साथ प्रेषित किये है । अतः समिति ने अनुशंसा की कि उपरोक्तानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम प्राप्त संशोधित अंक्षास–देशांस को पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सिया के स्तर पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के अधिकांश भाग में पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दर्शित गूगल इमेज दिसंबर, 21 की है तथा अप्रैल से जून के माह में पानी उतर जाने पर रेत उपलब्ध होती है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि देवास जिले में स्थित रेत खदानों में माह अप्रैल से जून तक जल स्तर कम हो जाने के कारण डी.एस.आर. में उल्लेखित मात्रा अनुसार रेत उपलब्ध रहती है । समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र 0.820 हे. है जो 01 हे. से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि स्वीकृत मात्रा मात्र 8,200 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर–पश्चिम दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी

देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 8200 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.43 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.23 लाख प्रति वर्ष ।
5. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 820 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों मे)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	500
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	200
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम मे तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	120
		योग	**820**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
भाँजाखेड़ी के पास स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में 5 कुर्सियों की व्यवस्था	5,000

ग्राम भाँजाखेड़ी के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के सुझावानुसार सामग्री का वितरण	10,000
योग	15,000

17. <u>Case No 9806/2023 Shri Rajeev Gupta, M/s Raj Real Estate Developers, Ganesh Bhojnalaya Ke Samne, Dharamshala Road, District-Shivpuri (M. P.)-473551, Prior Environment Clearance for Machhawali Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (7500 Cum per annum) (Khasra No. 1645) Village-Machhawali, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1645) Village-Machhawali, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव गुप्ता (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्मिल खान, (ऑनलाईन) मेसर्स इन–सीटू इंवायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 521 दिनांक 11/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बिलरऊ नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–10 के सरल क्रमांक–05 पर दर्ज है । शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में माईनेवल मिनरल पोटेंशियल लीज वाईस न देकर 10 खदानों का एक साथ दिया गया है जिसमें यह खदान भी शामिल है तथा 10 खदानों का कुल माईनेवल मिनरल पोटेंशियल –1,25,940 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में 7,500 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड ब्रिज है तथा रोड ब्रिज के डाऊन स्ट्रीम में खदान स्वीकृत है अतः 500 मीटर का सेट बेक छोडा जाना होगा जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्रिज से 500 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि संपूर्ण आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संबंधित सहायक खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक

6065 दिनांक 29/09/20 के माध्यम से सूचित किया है कि ग्रामीणो द्वारा सिचाई में पानी का उपयोग कर लेने के कारण नदी का पानी कम हो जाता है जिससे नदी की सतह पर रेत खनन् हेतु उपलब्ध हो जाती है । समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्व दिशा से किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 7,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.58 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
प्राथमिक शाला मछावली में 1 कंप्यूटर,1 टेबल एवं 1 कुर्सियों की व्यवस्था ।	50,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	**वृक्षारोपण हेतु स्थान**	**पौधों की प्रजातियाँ**	**मात्रा**
1.	नदी के किनारो	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, एवं स्थानीय प्रजातियां । 4-5 पंक्ति - कटंग एवं बांस । 6 पंक्ति - करंज जामुन लसोड़ा डेंचा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	1000
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, अशोक, खमेर, करंज, कदम्ब एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1000
3.	ग्राम मछवाली के ग्रामवासियोको फलदार वृक्षों का वितरण ।	बैर, ईमली, नींबू, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार व अन्य स्थानीय प्रजाति ।	2200
		योग	**4200**

18. <u>Case No 9807/2023 Shri Uttam Lodhi, Owner, Village-Badgunwa, Tehsil-Jabera, District-Damoh (M. P.)-481051, Prior Environment Clearance for Badgunwa Flagstone Quarry in an area of 1.00 ha. (2499 Cum per annum) (Khasra No. 55/1(S), 55/2(S), 55/3(S)) Village-Bargawan, Tehsil-Jabera, District-Damoh (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 55/1(S), 55/2(S), 55/3(S)) Village-Bargawan, Tehsil-Jabera, District-Damoh (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उत्तम लोधी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 81 दिनांक 28/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्वी दिशा 10 मीटर की दूरी पर एक मौसमी नाला है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है, कि इनके संरक्षण हेतु 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है तथा गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि प्रकरण फ्लेग स्टोन का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह (म.प्र.) के पत्र क्र0. 81 दिनांक 28/01/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड ली जावेगी। चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 2,499 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.29 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.29 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
बड़गुवां शासकीय प्राथमिक शाला में **2** बेंच व**1 0** कुर्सियों की व्यवस्था	10,000
बड़गुवां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000
योग	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, अजूगा सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, अजूगा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अजूगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत बड़गुवां)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बड़गुवां के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6	ग्राम पंचायत बड़गुवां के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		योग	1000

19. <u>Case No. – 6417/2019 Smt. Pratima Raje Rana W/o Shri Sher Singh Rana R/o 119/1 B.T. Ganj, Rajputana, East Roorki] Haridwar (Uttarakhand). (Old PP 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77,010 TPA) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP).</u>

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 18.21 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 389वीं दिनांक 09/08/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

यह प्रकरण पूर्व में सेक की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे एवं श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के बीच में 05 भागों में निजी भूमि है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के बीच में जो भूमि है वह उनके स्वामित्व की है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 03.48 हे. है तथा इस भूमि खनन् प्रस्तावित नहीं है तथा इस भूमि का उपयोग वृक्षारोपण व खनन् संबंधी अन्य सुविधाओं के लिए किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में टॉर 77010 घनमीटर के लिए जारी हुआ था तथा जनसुनवाई भी 77010 घनमीटर के लिए हुई किंतु स्वीकृत मात्रा 77010 टन/वर्ष हेतु है एवं इसी मात्र हेतु खनन् योजना का अनुमोदन भी हुआ है तथा फार्म–2 में आवेदन किया गया । अतः अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति 77010 टन/वर्ष हेतु जारी किया जाये । समिति चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि 77010 घनमीटर/वर्ष से 77010 टन/वर्ष कम है, अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा 77010 टन/वर्ष हेतु की जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 05 के पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई पेड़ काटा नहीं जायेगा, क्योंकि यह निजी भूमि है जिसका वचन हमने फार्म–2 में दिया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम भाग से 25 मीटर दूरी

पर कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन जोड़ने के बाद कच्चे रोड़ से दूरी लगभग 32 मीटर हो जायेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जावेगा तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार इस खनन् गतिविधि में सेकेण्ड्री ब्लस्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

आवंटित खनन् क्षेत्र में उत्तर भाग से लगा हुआ एक कच्चा रास्ता है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पगडंडी है जो इनके क्षेत्र के समीप से निकल रही है। समिति ने चर्चा उपरांत यह अनुशंसा की कि इस कच्चे रास्ते से 10 मीटर का सेट–बैक छोड़ जाये तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन जोड़ने के बाद कच्चे रोड़ से दूरी लगभग 17.5 मीटर हो जायेगी । समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि इस क्षेत्र में भी सघन वृक्षारोपण किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में शेड्यूल–1 फोना हेतु संरक्षण योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण खनन् क्षेत्र में 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंक–फेंसिंग का प्रस्ताव है तथा निकट में अभ्यारण्य में वाइल्ड लाईफ हेबीटॉट डेव्हलमेंट हेतु ई.एम.पी. बजट दिया गया है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने जन सुनवाई के पूर्ण कार्यवाही विवरण ऑन लाईन अपलोड नहीं की है जिसके संदर्भ मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई बार अपलोड करते समय बेवसाईट पूरे डॉक्यमेंट स्वीकार नही करती है इस कारण अधूरे मिनिट्स दिखते है, किन्तु ई. आई. ए. रिर्पोट के साथ जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण संलग्न किये गये है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवेदित लीजी (श्री राणा प्रताप सिंह) की मृत्यु उपरांत उनके कानूनी वारिस श्रीमती प्रतिमा राजे राणा को लीज शेष अवधि के लिए हस्तांतरित हो गई, अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति उनको श्रीमती प्रतिभा राजे के नाम से जारी किये जाने का अनुरोध किया है जिसके संदर्भ मे समिति का मत है, कि इस संदंर्भ मे उचित निर्णय सिया द्वारा लिया जाये।

ई.आई.ए. में उपलब्ध जन सुनवाई के विवरण अनुसार जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो के रोजगार तथा स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गएः–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी.. (सम्पूर्ण खनन् क्षेत्र में 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंक–फेंसिंग का प्रस्ताव तथा निकट के अभ्यारण्य में वाइल्ड लाईफ हेबीटॉट डेव्हलमेंट हेतु) योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 10/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट–77,010 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 43.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.36 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख :–

क्रं.	सीईआर गतिविधियां	राशि रू. में
1.	शासकीय प्राथमिक शाला तिगोडा में 2 बेंच व 05 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
2.	ग्राम तिगोडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	1,00,000
	योग	1,25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 21,852 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	1. बैरियर जोन 2. पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि पर 3. पट्टा क्षेत्र के कोने पर (प्रथम वर्ष)	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3,000 4,000 3,000
2	गैर खनन क्षेत्र (द्वितीय वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	5642
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊॅचाई 01 मीटर्) (प्रथम वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम) पंचायत तिगोड (प्रथम वर्ष)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2500
4	ग्राम पंचायत तिगोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (द्वितीय वर्ष)	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1710

प्रकरण आज दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रतिमा राजे राना (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के. चौबे मेसर्स अमलतास

इंवायो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतिम पेज के सरल क्रमांक–03 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

परियेाजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा बताया गया कि सेक की पूर्व की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण में श्रीमती राना के नाम से ही प्रस्तुीकरण हुआ था, उन्ही के नाम से ही पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी । सिया के निर्देशानुसार पुराने प्रकरण क्रमांक 6417/2019 में श्रीमती राना के नाम से टॉर स्थानांतरित कराकर ईआईए रिपोर्ट में इनके नाम का संशोधन कर प्रस्तुत किया गया है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में चर्चा कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है तथा वर्तमान परिदृश्य में इस प्रकरण में श्रीमती राना के नाम से टॉर स्थानांतरित कराकर ईआईए रिपोर्ट में इनके नाम का संशोधन कर प्रस्तुत किया गया है अतः सेक की पूर्व 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये।

20. <u>Case No 9759/2023 Shri Aabhash Gupta, Proprietor, M/s Ananya Engineering Private Limited, R/o Rudraksh Park Phase-II, Flat No. 402, Bawadiya Kalan, District-Bhopal (MP)-462042, Prior Environment Clearance for Badayala Chourasi Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (60000 Cum per annum) (Khasra No. 2/1 Govt.), Village-Badayala Chourasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/1 Govt.), Village-Badayala Chourasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) 3.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष गुप्ता के अधिकृत प्रतिनिधी श्री राजकुमार राजपूत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी, वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 442 दिनांक 23/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार लीज एरिया खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संभवतः यहां पूर्व में कोई खदान् कार्यतरत रही है जिसकी यह पिट है । हमको खदान् इसी स्थिति में दिनांक 25/01/23 को आवंटित हुई है तथा पिट को हमने अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप पर दिखाया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के चारो ओर विंड मिल स्थापित है (पूर्व दिशा मे 120 मी.,

दक्षिण–पूर्व दिशा में एंव 190 पर 313 मी., दक्षिण–पश्चिम दिशा में 210 मी., उत्तरी–पूर्व दिशा मे 195 मी. की दूरी पर तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा मे 200 मी. पर स्थित है) अतः चारो ओर विंड मिलों की स्थापना के कारण पर्यावरण की दृष्टि से स्थल संवेदनशील है क्याकि खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कण विंड मिल के द्वारा निर्मित किये गये विंड वेलोसिटी के कारण बहुत दूर तक जाने की संभवना रहेगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 16/03/23 के माध्यम से अपनी अनापत्ति दी है । समिति ने जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 16/03/23 के पत्र का अवलोकन किया तथा पाया कि जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने मेसर्स सुजलान ग्लोवल सर्विसिस द्वारा जारी पत्र को अग्रेषित किया है तथा अपना कोई मत उस पर अंकित नही किया है जो उपरोक्त परिस्थिती में आवश्यक है अतः समिति की अनुशंसा है कि गूगल इमेज अक्टूबर 2022 के अनुसार चूंकि प्रस्तावित खदान के आस–पास एक–दो नही बल्कि कई विंड मिल (05 से 06) स्थापित है तथा ओर प्रस्तावित हो सकती है अतः संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपरोक्त परिस्थितयों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से समिति को अवगत कराये ।

परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है । प्रकरण आज समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष गुप्ता के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजकुमार राजपूत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई. एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने पत्र क्रमांक 06 दिनांक 11/04/23 तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, भोपाल के पत्र क्रमांक 24/19 दिनांक 13/04/23 के माध्यम से अपनी अनापत्ति इस शर्त के साथ दी है कि स्थापित पवन चक्कीयो से 200 मीटर की दूरी छोड कर बिना ब्लास्टिंग के खनन् कार्य किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 60,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.02 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम बड़ायला चौरासी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 2 कम्प्यूटरए 1 प्रिंटर उपलब्ध कराया जावेगा ।	80,000

ग्राम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 स्ट्रेचर 4 व्हील चेयर एवं पदस्थ चिकित्सक के परामर्श में जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगा।	50,000
ग्राम बढ़ायला चौरासी एवं नजदीक स्थित ग्राम की सड़क की मरम्मत करवाई जावेगी एवं उनके आस पास वृक्षारोपण किया जावेगा।	30,000
योग	**1,60,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	**बैरियर जोन**	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर ,कस्टार, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, चिरोल आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	270
3.	उत्खनिपट्टा में उपलब्ध गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर ,कस्टार, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, चिरोल आदि।	250
4.	उत्खनिपट्टे के दक्षिण में स्थित दरगाह के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सु, चिरोल, नीम, पीपल, बरगद कदम्ब, मोलश्री, पुत्रंजीवा आदि।	200
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, आमला, कटहल, जामफल, सीताफल, संतरा , अनार, मूंगा आदि।	3260
		योग	4680

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।
नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

.

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर